Established in 2008
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत
NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बदलाव निमित्त एमजी नरेगा (MGNREGA) की भूमिका जयपुर और दूदू जिले के संदर्भ में

शोधार्थी
जितेन्द्र सिंह गुर्जर

एनरोलमेन्ट नं.
JVR/II/22/11019

शोध निर्देशक
डॉ. नीतू मान
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(अर्थशास्त्र)
शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Estd. in 2008

''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बदलाव निमित्त एमजी नरेगा (MGNREGA) की भूमिका जयपुर और दूदू जिले के संदर्भ में

शोधार्थी

जितेन्द्र सिंह गुर्जर

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/22/11019

शोध निर्देशक

डॉ. नीतू मान

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(अर्थशास्त्र)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बदलाव में एमजी नरेगा(MGNREGA) की भूमिका जयपुर और दूदू जिले के संदर्भ में

1. परिचय

1990 के दशक से, भारत में ग्रामीण गरीबी एक नीतिगत मुद्दा रहा है, जिसमें दो—तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 29.5% गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जाति, कार्य की स्थिति, लिंग और भूमि का स्वामित्व सभी ग्रामीण गरीबी के जोखिम कारक हैं। योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए सबसे कठिन चुनौती रोजगार पैदा करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार ने रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने और कृषि में श्रम समावेशन को बढ़ाने की योजनाओं के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को अपनाकर ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति को कम करने की मांग की है, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। MGNREGA भारत सरकार की प्रमुख पहल है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि राजनेता, नीति थिंक टैंक और शिक्षाविद सभी इसमें रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार, 300 मिलियन भारतीय घोर गरीबी में रहते हैं, अकुशल, आकस्मिक शारीरिक श्रम और प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण पर जीवित रहते हैं। यह निर्भरता लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी आदि जैसे संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जो उनकी कार्य संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और गरीबी के जाल से बचने की उनकी क्षमता को कम कर देती है।

गरीबी दूर करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रत्यक्ष रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास और भूमि संसाधन प्रबंधन सहित कई परियोजनाएं स्थापित की हैं। ग्रामीण आबादी के कुछ खंड, विशेष रूप से अकुशल, आकस्मिक, शारीरिक श्रमिक, लंबे समय तक गारंटीकृत रोजगार या वेतन के भुगतान की कमी के कारण अछूते रहे। इस पर महात्मा गांधी की टिप्पणी से जोर दिया गया था, ''भूखे और बेकार लोगों के लिए, एकमात्र स्वीकार्य रूप जिसमें भगवान प्रकट होने का साहस कर सकते हैं, वह है काम और मजदूरी के रूप में भोजन का वादा।'' महत्वपूर्ण समय के लिए रोजगार और न्यूनतम वेतन की गारंटी देने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को अपनाया गया था।(मेहता 2019)

2. अध्ययन के उद्देश्य

- मनरेगा में भाग लेने वाले परिवारों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की जांच करना।

- सामाजिक आर्थिक कारकों और मनरेगा प्रतिभागियों के रोजगार के बीच संबंध को देखने के लिए।
- प्रभावी मनरेगा कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों द्वारा पेश की गई समस्याओं और सुझावों का दस्तावेजीकरण करना।
- राजस्थान (जयपुर) में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका को देखें।
- राजस्थान (जयपुर) में ग्रामीण रोजगार विकास पर मनरेगा के प्रभाव की जाँच करें।
- संपत्ति निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में मनरेगा की भूमिका की जांच करें।

3. अध्ययन की पृष्ठभूमि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान

2006 में, राजस्थान इस योजना को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक था। मनरेगा की शुरुआत के बाद से, राज्य में राहत कार्यों का इतिहास रहा है और मजबूत नागरिक समाज जुड़ाव का लाभ मिला है। राज्य को मनरेगा जैसी योजना की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तीन–चौथाई से अधिक लोगों के साथ, राज्य काफी हद तक ग्रामीण है। पूरे राज्य में भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक कारक अलग–अलग हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। राज्य के पश्चिम और उत्तर–पश्चिम भाग, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत हैं, या तो रेगिस्तानी या अर्ध–शुष्क हैं। सूखे की पृष्ठभूमि में मनरेगा राज्य के लिए वरदान है। इसे राजस्थान में तीन चरणों में पेश किया गया था।

मनरेगा को पहले चरण (2 फरवरी, 2006) में छह जिलों में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जोधपुर में मनरेगा का तीसरा और अंतिम चरण शुरू किया गया था। नतीजतन, मनरेगा अब राजस्थान के सभी जिलों में काम कर रहा है। राज्य में 12 साल से मनरेगा लागू है। इस योजना को सार्वभौमिक बना दिया गया है और अब यह राज्य की ग्राम पंचायतों में प्रभावी है। राजस्थान सरकार ने अपने 2013–14 के बजट अनुमानों में 150 दिनों की रोजगार गारंटी का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने ''राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना'' (आरआरईजीएस) कार्यक्रम भी बनाया है। राज्य सरकार के अनुसार राजस्थान बेहतरीन कार्यक्रम निष्पादन वाले राज्यों में से एक है।

i) नरेगा– ग्रामीण भारत में विकास का आधार एवं ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका

2005 में, केंद्र सरकार ने गियर में बदलाव किया और भुगतान वाली नौकरियां प्रदान करके गरीबी को अधिक प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को

अपनाया। नरेगा की विशिष्ट विशेषता, जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करना, इसके कानूनी ढांचे और अधिकार–आधारित दृष्टिकोण द्वारा इसे विशिष्ट योजनाओं से अलग करते हुए संभव बनाया गया है।

इसकी घोषणा 7 सितंबर, 2005 को की गई थी और 2 फरवरी, 2006 को इसे औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शुरू किया गया था। प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए सहमत होते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में नरेगा के तहत कम से कम सौ दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार मिलेगा। 2006 में लागू होने पर इस अधिनियम में शुरू में 200 जिले शामिल थेय 2007–2008 में इसे 130 समुदायों तक बढ़ा दिया गया था। शेष सभी ग्रामीण गांवों को 1 अप्रैल, 2008 को नोटिस दिया गया था। इस प्रयास का प्रारंभिक नाम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था।

भारत सरकार (जीओआई) ने 2 अक्टूबर, 2009 को अपनी सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया। मनरेगा दुनिया का पहला कानून है। इस तरह के व्यापक वेतन रोजगार को सक्षम करने के लिए। MGNREGA संभावित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार में वृद्धि करना है। अधिनियम के निर्धारित कार्यों को लागू करके, जैसे सूखा–प्रूफिंग, वनस्पति आवरण को बहाल करना और मिट्टी और पानी का संरक्षण करके पुरानी गरीबी का मुकाबला किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जानी जाने वाली स्थानीय सरकार की संस्थाओं को एक प्रमुख भूमिका देकर यह अधिनियम, विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।

नतीजतन, मनरेगा भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि सभी तरीकों से इसकी निगरानी की जा रही है, जमीनी स्तर पर, प्रत्येक नागरिक और लाभार्थी की लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ; नागरिक समाज संगठनों से जुड़े सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता तंत्र के साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, सतत और समान विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक योजना के साथ।

ग्राम पंचायत विभिन्न कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा की गई परियोजनाओं की देखरेख करती है, जबकि ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर परियोजना की निगरानी की प्रभारी होती है। गृह पंजीयन, रोजगार सृजन, बेरोजगारी लाभ, सामाजिक अंकेक्षण, धन वितरण, वेतन भुगतान, कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के क्रम में मध्य पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी हैं। जिला पंचायत और जिला

कार्यक्रम समन्वयक कार्यान्वयन के सभी क्षेत्रों की लगातार जाँच करते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र के विकास की निगरानी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों का रखरखाव करता है।

ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका

भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी है और क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी है। यह एक कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में भी पहचाना जाता है क्योंकि यह अधिकांश स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसे ग्रामीण विकास को संबोधित करने के लिए कई रोजगार सृजन पहल शुरू की हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की पेशकश करके ग्रामीण आजीविका स्थिरता में सुधार करना चाहता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम का संचालन करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 2017 के बजट में रु। 48000 करोड़।

ग्रामीण विकास में स्वच्छता, कृषि, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास, बाजार से जुड़ाव, बुनियादी उपयोगिताओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल समावेश आदि जैसे दीर्घकालिक और अल्पकालिक कारक शामिल हैं। जल संग्रह, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण, जो ग्रामीण आर्थिक विकास में सहायता करता है।

MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयासों के बदले में ग्रामीण मजदूरों को भुगतान करता है। मनरेगा के माध्यम से किए गए ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए कई कार्य निम्नलिखित हैं।

1. जल संरक्षण और जल संचयन।
2. वृक्षारोपण और वृक्षारोपण सहित सूखा प्रूफिंग।
3. सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की भूमि से संबंधित परिवारों द्वारा भूस्वामियों के लिए सिंचाई की सुविधा।
5. टैंकों की गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण।
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण और जल–जमाव वाले क्षेत्रों के जल निकासी सहित कार्यों की सुरक्षा।

8. बारहमासी सड़कें प्रदान करने के लिए ग्रामीण संपर्क।

9. केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी अन्य कार्य को अधिसूचित कर सकती है।

मनरेगा ने इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनरेगा के परिणामस्वरूप भारत में ग्रामीण विकास में ठोस परिवर्तन हुए हैं, जैसे सड़कों, सिंचाई नहरों और ग्रामीण आवासों का निर्माण, अन्य बातों के अलावा। (पांडे 2017)

ii) ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर मनरेगा का प्रभाव एवं ग्रामीण भारत के परिसंपत्ति निर्माण और ढांचागत विकास में मनरेगा की भूमिका

आजादी के साठ से अधिक वर्षों के बावजूद, ग्रामीण भारत की गरीबी दर में वृद्धि जारी है। इसे हल करने के लिए, उत्पादक कार्य और अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने के लिए भारत की नौकरी–सृजन योजनाओं को लगातार संशोधित किया गया है। सरकार ने 1970 के दशक में तीन मुख्य गरीबी–विरोधी पहलें शुरू कींरू एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)। हालाँकि, ये योजनाएँ माँग के अनुसार और न्यूनतम वेतन पर पर्याप्त नौकरियों की आपूर्ति करने में विफल रहने के कारण अभी तक प्रभावी नहीं हैं। इसने ग्रामीण भारत में काम उपलब्ध कराने और पारिवारिक गरीबी को कम करने में सक्षम एक अन्य प्रकार के रोजगार मॉडल के विकास की आवश्यकता जताई है।

2005 का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्य गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक अभिनव और क्रांतिकारी योजना थी, जिसने ग्रामीण भारत में हर ग्रामीण आवास को हर साल 100 दिनों के काम का वादा किया था। मनरेगा 2006–2007 में चरण–1 में 200 राष्ट्रव्यापी जिलों में शुरू हुआ और 2007–2008 में चरण–2 में 130 समुदायों तक विस्तारित हुआ। मनरेगा ग्यारहवीं पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन योजना का केंद्र बिंदु था। नीचे दिया गया ग्राफ राज्य ग्रामीण गरीबी डेटा (2009–2010) की तुलना नियोजित परिवारों की औसत संख्या (2009–10, 2010–11 और 2011–12) से करता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों ने अपने गरीबी स्तर से अधिक मनरेगा का उपयोग किया है। अपने गरीबी के स्तर की तुलना में, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य मनरेगा फंडिंग का उपयोग करने में अपेक्षाकृत पीछे हैं।

ग्रामीण भारत के परिसंपत्ति निर्माण और ढांचागत विकास में मनरेगा की भूमिका

मनरेगा का लक्ष्य 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए टिकाऊ संपत्ति बनाना है।

इस संदर्भ में, कार्य किए जाने के लिए अधिनियम और परिचालन दिशानिर्देश कई शर्तों को निर्धारित करते हैं:

- मजदूरी–से–सामग्री–लागत अनुपात कम से कम 60:40 होना चाहिए (अधिनियम की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9)।
- स्वीकार्य कार्यों की सूची, प्राथमिकता के क्रम में, जो मनरेगा के तहत की जा सकती है, अधिनियम (अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1बी) में निर्दिष्ट के अनुसार होनी चाहिए।
- ठेकेदारों और उपकरणों का उपयोग निषिद्ध है (अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 11 और 12)।
- जीपी को निष्पादन के लिए कम से कम 50% कार्यों का आवंटन (अधिनियम की धारा 16(5))
- सभी कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर तक प्राप्त कर ली जानी चाहिए (परिचालन नियमों के पैरा 6.4.1)।

मनरेगा योजना में योजना के तहत उत्पन्न संपत्ति के रखरखाव के प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि जंगली भूमि का संरक्षण। आंकड़ों की समीक्षा में पाया गया कि कुल 56916 रोपण प्रयासों में रु. 202 ग्राम पंचायतों में 25.19 करोड़, नौ राज्यों के एक ब्लॉक और पांच जिलों में पौधों की उपेक्षा के कारण अप्रभावी हो गए थे। मंत्रालय ने परियोजना के तहत कार्यान्वयन के लिए सड़क के किनारे रोपण के एक मुजफ्फरपुर मॉडल का प्रसार किया, जिसमें सड़क के किनारे के पौधों की स्थापना और रखरखाव के लिए बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, और पड़ोसी गांवों से महिला कार्य कार्ड धारकों को काम पर रखा गया था। इन वृक्षारोपणों में जीवित रहने का उच्च प्रतिशत भी था। राज्यों से अधूरे कार्यों के कारणों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया। योजना ने 3,91 के लिए उत्पन्न संपत्ति के साथ दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी।

iii) राजस्थान की जनसांख्यिकी प्रोफाइल

2011 की जनगणना के अनुसार, 6.85 करोड़ की कुल जनसंख्या के साथ, राजस्थान देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। राजस्थान की आबादी 7.15 अरब है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1.70 अरब (या कुल का 24.9%) और शेष 5.15 अरब ग्रामीण क्षेत्रों में (या 75.1%) हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 928 अधिक थी। 2001 और 2011 के बीच, राजस्थान के महानगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 24

महिलाओं की वृद्धि हुई, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं थीं। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच लिंग वितरण में भौगोलिक भिन्नता है। 2011 में, ग्रामीण लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाएँ थीं, जो शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से कुछ अधिक है। 2001 में, ग्रामीण क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक लिंगानुपात था, जहां प्रति 1,000 पुरुषों पर 930 महिलाएं थीं।

1961 और 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई। 2011 में, राजस्थान के 66.11 प्रतिशत लोग पढ़ और लिख सकते थे, 2001 में 60.4 प्रतिशत से वृद्धि हुई। 2011 में, राजस्थान में औसत साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में 79.70% और 61.4 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में%, पूर्व में बहुत अधिक होने के साथ। (वर्ष 2021)

iv) राज्य की अर्थव्यवस्था

एक राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का आंशिक रूप से उसकी प्रति व्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत उपभोग सूचकांक (पीसीआई) की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) को राज्य की पूरी आबादी द्वारा मध्य वर्ष में विभाजित करके की जाती है। जीएसडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। वैश्विक जीडीपी आर्थिक विकास की गति और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। (वर्ष 2021)

- पहले अनुमानों के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2019–20 में 9.99 लाख करोड़ से घटकर 2020–21 में 9.58 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है, जो 4.11 प्रतिशत की कमी है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद □6.43 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने की संभावना है, जबकि वर्ष 2019–20 के जीएसडीपी के अनुमानों की तुलना में □6.89 लाख करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 6.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- मौजूदा कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के लिए 2020–21 के 8.63 लाख करोड़ के प्रारंभिक अनुमानों में पिछले वर्ष के कुल से 4.06 प्रतिशत की कमी की गणना की गई है।
- शुरुआती अनुमानों ने राज्य की जीडीपी को 2020–21 में 5.70 लाख करोड़ पर रखा, जो

2019—20 के संशोधित अनुमान 6.10 लाख करोड़ से कम है। यह पिछले साल की तुलना में 6.58 फीसदी कम है।

- 2020—21 (अग्रिम अनुमान) में, औसत घरेलू आय 1,09,386 रहने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष के 1,15,492 के आंकड़े से 5.29 प्रतिशत कम था। यह अनुमान लगाया गया है कि 2020—21 (अग्रिम अनुमान) में, औसत घरेलू आय 72,297 होगी, जो 2019—20 में 78,390 (स्थिर (2011—12) कीमतों) से कम है।

अ). सारांश

सशुल्क नौकरियाँ प्रदान करके गरीबी को दूर करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण नौकरी गारंटी अधिनियम (नरेगा) को अपनाया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम 2009 में बदल दिया गया और यह व्यापक वेतन रोजगार को सक्षम करने वाला दुनिया का पहला कानून है। मनरेगा का उद्देश्य सूखे से बचाव, वनस्पति आवरण को बहाल करना और मिट्टी और पानी के संरक्षण जैसे निर्धारित कार्यों को लागू कर के मजदूरी रोजगार को बढ़ाना और पुरानी गरीबी का मुकाबला करना है। जमीनी स्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, सामाजिक ऑडिट और पारदर्शिता तंत्र के कारण मनरेगा भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। मनरेगा ने ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास में सड़कें, सिंचाई नहरें और आवास जैसे ठोस बदलाव आए हैं। आजादी के साठ साल से अधिक समय के बावजूद, ग्रामीण भारत की गरीबी दर में वृद्धि जारी है। मनरेगा योजना दीर्घ कालिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता देती है, जिसमें नौ राज्यों की 148 ग्राम पंचायतों में 3,91,951 कार्यों के लिए संपत्तियां उत्पन्न की गई हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान में साक्षरता दर उच्च है और 2020—21 में अनुमानित जीडीपी 5.70 लाख करोड़ है।

4. अध्ययन की परिकल्पना

- H00 = मनरेगा राजस्थान के जयपुर में रोजगार बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है।
- H11 = मनरेगा राजस्थान के जयपुर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
- H01= मनरेगा ने राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया।
- H22= मनरेगा ने राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाया।
- H03= मनरेगा ने जयपुर में कर्मचारियों की बढ़ती बचत क्षमता को खासा प्रभावित नहीं किया है।
- H33= मनरेगा ने जयपुर में कर्मचारियों की बचत क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. शोध पद्धति

शोध के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तरदाताओं से प्राथमिक डेटा एकत्र किया जाएगा। वेबसाइट www.nrega.nic.in पर दी गई जानकारी का उपयोग करके द्वितीयक डेटा प्राप्त किया जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम राजस्थान में जयपुर के दूदू जिले के भीतर कई ब्लॉकों में लागू किया जाएगा और उन ब्लॉकों के गांवों को चुना जाएगा। राजस्थान राज्य में जयपुर जिला अनुसंधान का स्थान होने जा रहा है। नतीजतन, हमारे पास उत्तरदाताओं का एक पूरा नमूना है। एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा, और डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों जैसे सरल माध्य, प्रतिशत, आवृत्ति, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके किया जाएगा।

अध्ययन की सीमाएं

वर्तमान शोध केवल जयपुर के दूदू जिले के गांवों पर केंद्रित होगा। अन्य नगर पालिकाओं में फिर से शोध करना आवश्यक है। इस प्रकार इससे प्राप्त निष्कर्ष को काफी हद तक सामान्यीकृत किया जा सकता है।

उपकरण का प्रयोग

डेटा विश्लेषण के लिए, SPSS सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।

डेटा संग्रहण

प्राथमिक डेटा प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, और माध्यमिक डेटा विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों, साहित्य, समाचार पत्र, पुस्तकों और पत्रिकाओं की रिपोर्ट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

6. शोध प्रश्न

''क्या मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का कार्यान्वयन जयपुर और दूदू जिले पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?''

7. साहित्य की समीक्षा

(मेहता 2019)ग्रामीण–गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार में मनरेगा का प्रभावः राजस्थान के जोधपुर जिले का एक अध्ययन। इस शोध में राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों पर महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की जांच की गई। अनुसंधान ने 240 लोगों के एक यादृच्छिक नमूने का उपयोग किया और पता चला कि सामाजिक आर्थिक चर में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। मॉडल का संशोधित R2 स्कोर 0.54 था, जो एक उपयुक्त फिट का सुझाव देता है, आश्रित चर में कुल परिवर्तनशीलता के 54% की व्याख्या करता है। चर जैसे कि सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणी में गैर–महत्वपूर्ण गुणांक थे, यह दर्शाता है कि उन्होंने आश्रित चर में परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। अन्य कारकों जैसे कि लिंग, आयु, परिवार का आकार, शिक्षा और भूमि के आकार का आकार शोध में महत्वपूर्ण गुणांक दिखाते हैं।

इस योजना से जुड़े कर्मचारियों द्वारा बताए गए प्रतिबंधों के आधार पर, इसने वर्तमान मनरेगा योजना में सुधार के लिए विचार भी प्रस्तुत किए। शोध में पाया गया कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े जातीय समूह लगातार मनरेगा कार्यों में अधिक अनुपात में भाग लेते हैं, जैसा कि सामान्य और अन्य पिछड़ी जाति के लोग करते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त घरों की पारंपरिक धारणा को बाधित कर दिया है, और प्राप्तकर्ताओं का शिक्षा स्तर उच्च होना चाहिए। मनरेगा योजना के तहत नियमित रूप से काम करने वाले परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में काफी खराब है, और सुधार की दर में तेजी लाने के लिए, कुछ विकास पहलों को योजना के साथ एकीकृत किया जा सकता है, मुख्य रूप से उन परिवारों को लक्षित किया जा सकता है जो इस योजना के तहत लंबे समय से काम कर रहे हैं। समय।

(दासगुप्ता, 2013), इसी तरह के पहले के शोध को देखने से आपको अध्ययन के लिए सैद्धांतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर समीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया गया। मनरेगा साहित्य में मुख्य रूप से समग्र राष्ट्रीय, राज्य–स्तरीय, या बहु–राज्य मूल्यांकन या अध्ययन शामिल हैं जो एक कारक या छोटी संख्या में कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मनरेगा और स्टंटिंग के बीच संबंध।

इस प्रकार, हालांकि मनरेगा ने भारत के सबसे वंचित लोगों के लिए कुछ आवश्यक रोजगार प्रदान किए हैं, श्रम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नौकरियां प्रदान करने की योजना की क्षमता अभी तक एक बड़ी बाधा रही है। भ्रष्टाचार सफल गोद लेने के लिए एक और बाधा है। यह परिणाम कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य है। मनरेगा के प्रभावों पर कई अनुभवजन्य अध्ययनों के बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से, केवल कुछ ही कार्यक्रम के स्थानीय कार्यान्वयन और परिणामों की व्यापक गुणात्मक परीक्षा देते हैं। आउटलेयर में हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान में

सुदर्शन एट अल. (2010) का अध्ययन, तमिलनाडु में कार्सवेल और डी नेवे (2014) का मिश्रित पद्धति अनुसंधान शामिल है।

(पांडे 2017)मनरेगा और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका रोशनी पांडे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को 25 अगस्त, 2005 को भारत में कानून के रूप में पारित किया गया था, और 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया। यह गंभीर गरीबी को कम करने और समुदायों को बनाने की आकांक्षा रखता है। आर्थिक संपत्ति का निर्माण करके देश भर में आत्मनिर्भर। हर साल, भारत में 15–20% परिवारों और ग्रामीण भारत में 30% को मनरेगा योजना के तहत रोजगार का हिस्सा मिलता है। साक्ष्य और टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि मनरेगा भारत में गरीबी में कमी और ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन अधिक नियोजित निगरानी तंत्र, राज्य के अधिकारियों द्वारा कार्य सत्यापन में कमी और मंत्रालय की स्वीकृति और धन जारी करने में कमियां होने की आवश्यकता है। समीक्षा अवधि के दौरान राज्यों को वितरित किए गए धन और गरीबी के आंकड़ों की जांच से पता चला कि तीन राज्यों, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारत में ग्रामीण गरीबों का 46% हिस्सा है, फिर भी कुल नकद वितरित का लगभग 20% ही है। योजना के तहत। इसका तात्पर्य है कि गरीब से गरीब व्यक्ति मनरेगा के तहत अपने अधिकारों का ठीक से उपयोग नहीं कर सका।

(शर्मा 2021), मनरेगा ने सीमांत श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार कियाः हरियाणा और राजस्थान में एक अध्ययन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्य गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) की स्थापना 2006 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को उनकी जीवन स्थितियों में सुधार के लिए 100 दिन का काम देने के लिए की गई थी। एक सर्वेक्षण और प्रश्नावली दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, इस शोध ने कर्मचारियों के रोजगार, बचत, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर मनरेगा के प्रभावों का आकलन किया। रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करता है। सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला कि समग्र रोजगार, बचत, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वर्तमान अध्ययन की तीन परिकल्पनाएं प्रदर्शित करती हैं कि, जब ठीक से लागू किया जाता है, मनरेगा नौकरियों और बचत को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों की समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करता है।

राजस्थान के ग्रामीण विकास और महिला अधिकारिता में मनरेगा की भूमिका सीमा चौधरी, डॉ एसबी यादव, 2018 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) दुनिया की सबसे बड़ी

रोजगार सृजन परियोजना है। इसका इरादा प्रत्येक परिवार को सालाना कम से कम सौ दिनों के शारीरिक मजदूरी के काम की आपूर्ति करना है। यह महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह भी चाहता है कि महिलाएं कुल श्रम शक्ति का लगभग 33% हिस्सा बनाती हैं और पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है। इस शोध का उद्देश्य यह जांचना है कि मनरेगा राजस्थान में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छी और सफल नीति कैसे है। यह स्पष्ट है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों ने इस परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, जिसमें महिला कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा की भविष्य में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण पर एक महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव होगा, और इस कार्यक्रम को अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विस्तारित करना बेहतर है,

(भट और मरियप्पन 2016), ग्रामीण जीवन को बदलने में मनरेगा की भूमिका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सौ दिनों का सवैतनिक रोजगार देकर गरीब ग्रामीण आजीविका सुरक्षा में सुधार करना है। यह सड़क निर्माण, भूमि विकास, जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं जैसी दीर्घकालिक संपत्ति भी उत्पन्न करता है, ये सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस शोध का उद्देश्य ग्राम पंचायत हंगा, कुपवाड़ा जिला, जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण जीवन पर मनरेगा के प्रभाव की जांच करना था। रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा ने एक आसान दृष्टिकोण और संपत्ति विकास के साथ भुगतान रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित करके गरीब ग्रामीण लोगों के जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सुधार किया। यह कार्यस्थल दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी मानव क्षति के लिए जोखिम कारक उपायों का भी आश्वासन देता है, पर्याप्त कार्यस्थल सुविधाओं के साथ कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, संपत्ति को पूरे समुदाय के लाभ के लिए आवश्यकता और मांग के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, जबकि काम के अवसर समय पर और विशेष रूप से जॉब कार्ड वाले लोगों को दिए जाने चाहिए। सरपंचों के बीच सहयोग।

8. समस्या की व्याख्या

कम आय गरीब लोगों को गरीबी के जाल से बाहर निकलने में बाधा बनी हुई है। अधिकांश स्वरोजगार और कौशल निर्माण पहलों का उद्देश्य गरीबों को ''गरीबी जो मारती है'' से बचाना है। हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की कानूनी आवश्यकता के अलावा, मनरेगा परिवारों को न्यूनतम आय

की गारंटी दी जाती है। वेतन वृद्धि से परिवार की बचत, आर्थिक विविधीकरण और घरेलू मानव पूंजी निवेश में सुधार की उम्मीद है।

इसे ध्यान में रखते हुए, अध्ययन ने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किया। मनरेगा के पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? जयपुर में मनरेगा के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि बेहतर है? क्या MGNERGA लेने के बाद कोई बदलाव है? इस पेपर का उद्देश्य राजस्थान (जयपुर) में मनरेगा के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति और रोजगार में बदलाव पर मनरेगा के प्रभाव की जांच करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

भट, श्री बशारत बशीर, और डॉ.पी. मरियप्पन। 2016. 'ग्रामीण जीवन को बदलने में मनरेगा की भूमिका'।

चौधरी 2018 'राजस्थान के ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका'। प्रबंधन प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

देवी, गोरा अन्नू, जोशी माधुरी, शर्मा सोनिका और चौधरी मुकेश। 2018. 'मनरेगा कार्यक्रम के प्रति महिला श्रमिकों की कार्य संतुष्टि के साथ स्वतंत्र चरों के बीच संबंध'। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज 10(9)।

डॉ प्रसाद केवीएस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्रदर्शनः एक अवलोकन, आईएसएसएनः 2230–9519 (ऑनलाइन)। आईएसएसएनः 2230–2463, आईजेएमबीएस। 2012;

गोरा, अन्नू देवी, माधुरी जोशी और राधिका तंवर। 2017. 'भारत के राजस्थान के जयपुर जिले में मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों की समस्याएं–। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज 6(8)ः3591–96. डीओआईः 10. 20546/आईजेसीएमएएस.2017.608.431।

गोटवाल, श्रीमती सीमा। 2020. 'ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका'। 7(7).

जोर्जेंसन, ट्राइन मोर्डल। दूसरा 'राजस्थान में एमजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करनाः ग्रामीण गरीबों की काम तक पहुंच को कैसे सुगम बनाया जाए?'

मेहता, डॉ रेखा। 2019 'ग्रामीण–गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार में मनरेगा का प्रभावः राजस्थान के जोधपुर जिले का एक अध्ययन'।

MGNREGAः समावेशी विकास में भूमिका मोहम्मद रहमतुल्लाह सहायक। अर्थशास्त्र विभाग, कानून, एएमयू, अलीगढ़ में प्रोफेसर।

पमेचा, डॉ. सुमन और इंदु शर्मा। 2015ए. 'मनरेगा का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव – राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 20 गांवों के लाभार्थियों के बीच किया गया एक अध्ययन'। 5(1).

पमेचा, डॉ. सुमन और इंदु शर्मा। 2015बी। 'मनरेगा का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव – राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 20 गांवों के लाभार्थियों के बीच किया गया एक अध्ययन'। 5(1).

पाण्डेय, रोशनी. 2017. 'मनरेगा एंड इट्स रोल इन रूरल डेवलपमेंट'। 7(11).

ग्रामीण रोजगार में मनरेगा की भूमिकाः एक समीक्षा, संतोष कुमार, समाजशास्त्र में व्याख्याता, सरकार। पीयू कोलाज कर्नाटक, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिव्यू, आईएसएसएन 2347–9671।

भारत से गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की भूमिका, डॉ. विकास कुमार, सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार। राजा (पीजी) कॉलेज, रामपुर, अक्टूबर 2014 वॉल्यूम। IX नंबर 2 आईएसएसएनः 0973–4503 आरएनआईः यूपीईएनजी 2006/17831।

शर्मा, सुनयना. 2021. 'मनरेगा ने सीमांत श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार किया' हरियाणा और राजस्थान में एक अध्ययन'। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज 11(7):55–68. डीओआईः 10.5958/2249–7315.2021.00024.1।

सुरेंद्र सिंह. MGNREGA: बुंदेलखंड (MP) में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी? (मार्च) आईएसएसएन (ऑनलाइन): 2320–0685। 2013; 2(4).

http://www-nrega-nic-in/misreport-htm